[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **1184:2023** आईएनएससी **660** ए

ए.

एम. डी. ASFAK ALAM v.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. (आपराधिक अपील सं.2207 2023 का) 31 जुलाई, 2023

बी.

[एस**.** रवींद्र भाट और अरविंद कुमार**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 438-अग्रिम जमानत का अनुदान-धारा 438 के अभियुक्त पति को अयोग्यता।498 ए और दंड संहिता के तहत विभिन्न अन्य प्रावधान, और दहेज निषेध अधिनियम के तहत-अग्रिम जमानत आवेदन लंबित है और पति को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है-उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश का अनुदान जिसमें पुलिस को पति को उसके आवेदन के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया गया है।438 – इसके बाद, अनुसंधान पूरी हो गई, आरोप पत्र दायर किया गया और सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया-इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का आदेश दिया गया और पति को आत्मसमर्पण करने और बाद में नियमित जमानत लेने का भी निर्देश दिया गया।उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने और इस तरह के आकस्मिक दृष्टिकोण को अपनाने में गलती की-पति ने आरोप पत्र दायर करने और उसका संज्ञान लेने तक संरक्षण देने से पहले और बाद में अनुसंधान में सहयोग किया-इस प्रकार, एक बार आरोप पत्र दायर होने के बाद, पति की ओर से कोई बाधा नहीं थी-उच्च न्यायालय को अपराधों की प्रकृति, आरोपों और उन अपराधों की अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए जमानत दे देनी चाहिए थी-इस प्रकार, जमानत को अस्वीकार करने वाले विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

न्यायिक निर्देश:गिरफ्तारी पर दिशानिर्देश जारी करना-अपराध यू/एस।498 भारतीय दण्ड संहिता सी. और सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अन्य अपराध-पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्त की अनावश्यक गिरफ्तारी, और मजिस्ट्रेट द्वारा आकस्मिक और यांत्रिक रूप से निरोध को अधिकृत करना-इसके मद्देनजर, सभी अदालतों को अर्नेश कुमार के

मामले में निर्धारित कानून का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जारी करना बंद कर दिया गया-उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में निर्देश तैयार करने के लिए, निचली अदालतों द्वारा पालन की जाने वाली अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के रूप में-सभी राज्यों में पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन निर्देशों के संदर्भ में सख्त निर्देश जारी किए जाएं।

जी.

एच.

1184

1185

एम. डी. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर.

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और एक अन्य **(2014) 8**

एस**.** सी**.** आर**. 128-**पर निर्भर।

ललिता कुमारी बनाम सरकार। यूपी और ओआरएस। **[2013] 14** एस**.** सी**.** आर**. 713;** सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो और एक अन्य **[2022] 10** एस**.** सी**.** आर**. 351;** सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य **(2022) 1** एस**.** सी**.** सी**. 676;** सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**) [2020] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1;** गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम राज्य

बी.

पंजाब [1980] 3 एस. सी. आर. 383-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

सी.

[2013] 14 एससीआर **713**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

[2022] 10 एससीआर **351**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

(2022) 1 एस**.** सी**.** सी**. 676**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[2020] 2 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1980] 3 एससीआर **383**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

डी.

[2014] 8 एससीआर **128**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12,13**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 2207।

2022 के ए. बी. ए. सं. 5771 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.01.2023 के निर्णय और आदेश से।

ई.

समरहर सिंह, सुश्री श्वेता कुमारी, चिनमय कुमार, मोहम्मद।असीम, मनोज कुमार, ऋषि राज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

विष्णु शर्मा, सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, दीपांकर सिंह, श्रीमती अनुपमा शर्मा, राजेश सिंह चौहान, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.**

1. सुनवाई की पिछली तारीख को, यानी 26.07.2023 पर, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका के पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना।लेकिन विवादित आदेश की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को आज घोषित होने वाले आदेशों के लिए वापस रखा गया।

जी.

2. विशेष अवकाश दिया गया।अपीलार्थी अग्रिम जमानत से इनकार करने और न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने के आगे के निर्देश से व्यथित है।

एच.

1186

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

3. आवश्यक तथ्य यह है कि अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी (इसके बाद क्रमशः "पति और पत्नी" के रूप में संदर्भित) की शादी 5.11.2020 पर हुई थी।अपीलार्थी का आरोप है कि प्रतिवादी-पत्नी खुश नहीं थी और उसके पिता हस्तक्षेप करते थे और उस पर और उसके परिवार पर दबाव डालते थे।इसके कारण अपीलार्थी के परिवार को धमकी देने के लिए पत्नी के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।यह आरोप लगाया गया है कि 02.04.2022 पर, ललिता में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देशों का पालन किए बिना

बी.

कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, 1 संबंधित पुलिस स्टेशन 2, पंजीकृत

अपीलार्थी और उसके भाई और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.), भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 498 ए, 323/504/506 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध करने की शिकायत।

सी.

4. अपीलार्थी ने गिरफ्तारी की आशंका जताई और सत्र न्यायाधीश, गुमला, झारखंड के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया; उस आवेदन को 28.06.2022 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद अपीलार्थी ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 05.07.2022 पर अग्रिम जमानत मांगी।इस दौरान, अपीलार्थी ने अनुसंधान में सहयोग किया, और इसके पूरा होने के बाद, सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया।

डी.

5. सत्र न्यायालय द्वारा 01.10.2022 पर संज्ञान लिया गया था।सत्र न्यायालय ने इस आदेश में उल्लेख किया कि 08.08.2022 पर, उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के साथ अपीलार्थी की रक्षा की थी जिसमें निर्देश दिया गया था कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा

सकता है।जब उच्च न्यायालय द्वारा 18.01.2023 पर आवेदन की सुनवाई की गई, तो लंबित अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया, और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय के विवादित आदेश 3 के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

ई.

एफ.

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं कि सूचना देने वाले को भी इस मामले की स्थापना के ठीक बाद परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करके क्रूरता का शिकार बनाया जा रहा है।याचिकाकर्ता के खिलाफ उपलब्ध विद्वान वकीलों और सामग्रियों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुत करने के साथ-साथ इसकी गंभीरता पर विचार करना।

जी.

1 [2013] 14 एससीआर 713।

2 गुमला महिला पी. एस. मामले संख्या 07/2022 में। 3 2022 का ए. बी. ए. सं. 5771 दिनांक 18.01.2023 ए

एच.

1187

एम. डी. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

आरोप है, मैं याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं हूं, जो खारिज हो जाता है।

याचिकाकर्ता को नीचे की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया जाता है, नीचे की विद्वान अदालत इस आदेश से पूर्वाग्रहित हुए बिना अपने गुण-दोष पर विचार करेगी।"

बी.

6. अपीलार्थी का तर्क है कि संविधान द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य को महत्व दिया गया है, आरोप पत्र दाखिल करने से पहले गिरफ्तारी की आवश्यकता तब होती है जब अभियुक्त की अभिरक्षा अनुसंधान या पूछताछ आवश्यक होती है या गंभीर अपराधों से जुड़े कुछ मामलों में जहां अभियुक्त की गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि गिरफ्तारी की जा सकती है, यह अनिवार्य नहीं है कि इसे हर मामले में किया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि शक्ति

(गिरफ्तारी) के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का हमेशा पालन किया जाना चाहिए।

सी.

डी.

7. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 4, सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो और अन्य 5 और सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 6 प्रस्तुतियों को रेखांकित करने के लिए और

ई.

यह भी रेखांकित किया कि यह केवल तभी होता है जब जांच अधिकारी को लगता है कि आरोपी फरार हो सकता है या समन की अवज्ञा कर सकता है, तभी उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता होती है।

8. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि केवल यह तथ्य कि एक आरोप पत्र दायर किया गया है, एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने का हकदार नहीं बनाएगा, जो हमेशा विवेकाधीन रहता है।न्यायालय हमेशा एक अभियुक्त के गवाहों को प्रभावित करने या अन्यथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना (अपने पिछले आचरण के आधार पर) पर विचार करता है।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्यर्थी जो इस मामले में एक वादी है, ने अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों पर उनकी शादी के लगभग डेढ़ महीने बाद वैवाहिक घर में नियमित रूप से उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।यह उजागर किया गया कि वादी के अनुसार, धमकी

एफ.

जी.

4 [2014] 8 एससीआर 128। 5 [2022] 10 एससीआर 351। 6 (2022) 1 एससीसी 676।

एच.

उसे इस तरह से इंजेक्ट किया जाएगा कि चिकित्सा साक्ष्य से पता चलेगा कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।

विश्लेषण

9. इस अदालत ने जमानत देने के लिए विवेकाधिकार लागू करने के संदर्भ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों पर जोर दिया है।यह फैसला दिया गया है कि मामलों की एक लंबी कतार में सामान्य रूप से जमानत दी जानी चाहिए और गंभीर मामलों में-जो दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 437) के प्रावधानों में निर्दिष्ट हैं, जिसमें लंबी सजा या अन्य विशेष अपराधों से संबंधित आरोप शामिल हैं, अदालत को विवेक का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जिन मामलों में जमानत या अग्रिम जमानत का दावा किया जाता है, उनमें अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अनुसंधान के दौरान साक्ष्य को प्रभावित करने या गवाहों को धमकी देकर या अन्यथा प्रभावित करने की कोशिश करके परीक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अभियुक्त की प्रवृत्ति या क्षमता, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना और ऐसे अन्य विचार सर्वोपरि हैं।मुकदमे के दौरान, अदालत हमेशा कार्यवाही के नियंत्रण में रहती है, और उसके लिए कोई भी शर्त लागू करने के लिए खुली है जो वह मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है।प्रत्येक मामले में न्यायालय को इन व्यापक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

10. सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 7 के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, इस अदालत को पिछले फैसलों की समीक्षा करने का अवसर मिला, जिसमें गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य 8 के फैसले पर विचार करना और यह तय करना शामिल है कि क्या गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के आदेश को सीमित करने वाली शर्तों को लागू करना, विशेष रूप से जब आरोप पत्र दायर किया जाता है, आवश्यक है।अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने फैसले में कहा (एम. आर. शाह,जे) किः

ई.

“ 7.6.इस प्रकार, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा गुरबख्श सिंह सिबिया [गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 565 में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए:1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 465], अदालत, यदि ऐसा करने के कारण हैं, तो आदेश द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद ही आदेश के संचालन को एक छोटी अवधि तक सीमित कर सकती है और ऐसे मामले में आवेदक को एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद एक उचित छोटी अवधि के भीतर संहिता की

धारा 437 या 439 के तहत जमानत का आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है। संविधान पीठ ने आगे कहा है कि

एफ.

जी.

7 2020 (2) एस. सी. आर. 1 8 1980] 3 एस. सी. आर. 383 ए

एच.

1189

एम. डी. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

एकर पालन एकटा अपरिवर्तनीय नियमक रूपमे करबाक आवश्यकता नहि छैक।यह आगे देखा और माना जाता है कि सामान्य नियम समय की अवधि के संबंध में आदेश के संचालन को सीमित करने के लिए नहीं होना चाहिए।हमारी राय है कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत आदेश देते समय संबंधित अदालत द्वारा शर्तें लगाई जा सकती हैं, जिसमें एक समय की अवधि के संबंध में आदेश के संचालन को सीमित करना शामिल है, विशेष रूप से जिस चरण में "अग्रिम जमानत" आवेदन दायर किया जाता है, अर्थात्, क्या वह प्राथमिकी दर्ज होने से पहले के चरण में है या जब प्राथमिकी दर्ज की जाती है और अनुसंधान प्रगति पर होती है या उस चरण में जब अनुसंधान पूरी हो जाती है और आरोप पत्र दायर किया जाता है।हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, सामान्य नियम यह होना चाहिए कि समय की अवधि के संबंध में क्रम को सीमित न किया जाए।”

बी.

सी.

व्यक्त किया गया सहमति वाला विचार (इस निर्णय के लेखक द्वारा)

यह थाः

डी.

“ 85.3.सी. आर. पी. सी. की धारा 438 अदालतों को अनुसंधान या पूछताछ आदि के दौरान पुलिस द्वारा समय के संदर्भ में, या एफ. आई. आर. दर्ज करने या किसी गवाह का बयान दर्ज करने पर राहत देने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं करती है। (अग्रिम जमानत देने के लिए) एक आवेदन पर विचार और विचार करते समय अदालत को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, अनुसंधान के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ (गवाहों को डराने सहित), न्याय से भागने की संभावना (जैसे देश छोड़ना), आदि पर विचार करना होता है। अदालतें न्यायोचित होंगी-और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 437 (3) [धारा 438 (2) के आधार पर] में उल्लिखित शर्तें लागू करनी चाहिए।अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तों को लागू करने की आवश्यकता को मामले-दर-मामले के आधार पर और राज्य या जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर तौलना होगा।ऐसी विशेष या अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू की जा सकती हैं यदि मामला या मामले आवश्यक हैं, लेकिन सभी मामलों में नियमित तरीके से लागू नहीं की जानी चाहिए।इसी तरह, अग्रिम जमानत के अनुदान को सीमित करने वाली शर्तें दी जा सकती हैं, यदि वे किसी भी मामले या मामलों के तथ्यों में आवश्यक हैं; हालाँकि, ऐसी सीमित शर्तें हमेशा लागू नहीं की जा सकती हैं।

ई.

एफ.

जी.

****

एच.

85.4.न्यायालयों को आम तौर पर अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने का आकलन करते समय अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।देना है या नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है; समान रूप से, क्या, और यदि ऐसा है, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं), यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और अदालत के विवेकाधिकार के अधीन है।

बी.

85.5.अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत, आरोप पत्र दायर करने के बाद मुकदमे के अंत तक जारी रह सकती है।इसके अलावा अग्रिम जमानत के आदेश इस अर्थ में "पूर्ण" नहीं होने चाहिए कि यह अभियुक्त को आगे के अपराध करने और राहत का दावा करने में सक्षम नहीं बनाता है।यह उस अपराध या घटना तक सीमित होना चाहिए, जिसके लिए किसी विशिष्ट घटना के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका मांगी जाती है। यह भविष्य की किसी घटना के संबंध में काम नहीं कर सकता है जिसमें अपराध करना शामिल है।

सी.

डी.

****

87. हमारे गणतंत्र के इतिहास-और वास्तव में, स्वतंत्रता आंदोलन ने दिखाया है कि कैसे मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और अनिश्चितकालीन हिरासत की संभावना और सुरक्षा उपायों की कमी ने लोगों को स्वतंत्रता की मांग के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।रॉलेट एक्ट, इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध, जलियांवाला बाग नरसंहार और कई अन्य घटनाओं को देखें, जहां आम जनता विरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रही थी, लेकिन उन्हें बेरहमी से दबा दिया गया और अंततः लंबे समय तक जेल में रखा गया।मनमाने ढंग से और भारी-भरकम गिरफ्तारी की आशंकाःबहुत बार, नागरिकों को परेशान करने और अपमानित करने के लिए, और अक्सर, शक्तिशाली व्यक्तियों के हित में (और अपराधों में किसी भी सार्थक अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ाने के लिए) धारा 438 को लागू किया गया। विधि आयोग की कई रिपोर्टों और कई समितियों और आयोगों की सिफारिशों के बावजूद, मनमाना और आधारहीन गिरफ्तारी एक व्यापक घटना के रूप में जारी है।संसद ने गिरफ्तारी से पहले या अग्रिम जमानत देने में, विशेष रूप से अवधि के संबंध में, या आरोप पत्र दायर होने तक, या गंभीर अपराधों में, अदालतों की शक्ति या विवेकाधिकार में कटौती करना उचित नहीं समझा है।इसलिए, यह समाज के व्यापक हित में नहीं होगा यदि न्यायालय ए द्वारा

ई.

एफ.

जी.

एच.

1191

एम. डी. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

न्यायिक व्याख्या, उस शक्ति के प्रयोग को सीमित करती हैःइस तरह के अभ्यास का खतरा यह होगा कि अंशों में, धीरे-धीरे, विवेकाधिकार, जिसे सलाह के अनुसार चौड़ा रखा गया है, एक बहुत ही संकीर्ण और अपरिचित रूप से छोटे हिस्से में सिकुड़ जाएगा, इस प्रकार प्रावधान के पीछे के उद्देश्य को निराश करेगा, जो इन 46 वर्षों में समय की कसौटी पर खरा उतरा है।"

बी.

11. अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय पुलिस की शक्तियों, भारतीय दण्ड संहिता सी. के 498 ए जैसे वैवाहिक अपराधों और अन्य मामलों सहित कई प्रकार के मामलों में न्यायालय के विवेक और कर्तव्यों के संबंध में उपयोगी और मूल्यवान मार्गदर्शक हैं।अर्नेश कुमार (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

सी.

“9. उपरोक्त प्रावधान के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सात वर्ष से कम अवधि के कारावास या जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने उपरोक्त दंडनीय अपराध किया था।गिरफ्तारी से पहले, ऐसे मामलों में एक पुलिस अधिकारी को और संतुष्ट होना पड़ता है कि ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक है; या मामले की उचित अनुसंधान के लिए; या आरोपी को अपराध के साक्ष्य को गायब करने से रोकने के लिए; या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक जब भी आवश्यकता हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।ये निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।कानून पुलिस अधिकारी को तथ्यों को बताने और उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए अनिवार्य करता है, जिसके कारण वह ऐसी गिरफ्तारी करते समय उपरोक्त किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा।कानून में आगे पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, गिरफ्तारी क्यों? क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है?यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा?यह किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा?इन प्रश्नों को संबोधित करने और ऊपर उल्लिखित एक या अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद ही,

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है।जुर्माने में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी और सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है।इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

बी.

अदालत ने उन सभी मामलों में पुलिस अधिकारियों और अदालतों द्वारा पालन किए जाने के लिए मूल्यवान निर्देश भी जारी किए, जहां जमानत देने का सवाल उठता है।इसके अलावा, अदालत ने सिद्धार्थ (ऊपर) में अपने फैसले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की केंद्रीयता को रेखांकित किया थाः

सी.

“10. हम ध्यान दे सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है।जाँच के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब अभिरक्षा अनुसंधान आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है या जहाँ गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या आरोपी फरार हो सकते हैं।केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए।गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए।यदि गिरफ्तारी नियमित की जाती है, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अनगिनत नुकसान पहुंचा सकती है।यदि अनुसंधान अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा और वास्तव में, पूरे अनुसंधान में सहयोग किया है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की मजबूरी क्यों होनी चाहिए।”

डी.

ई.

12. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय की राय है कि कोई चौंकाने वाली विशेषताएं या तत्व नहीं हैं जो स्पष्ट हैं या कोई असाधारण तथ्य नहीं है जो अपीलार्थी को अग्रिम जमानत देने के लिए अयोग्य ठहराता है।महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि दंपति के बसने से पहले ही वैवाहिक संबंधों में खटास आ गई थी, लेकिन क्या अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप इस स्तर पर सही हैं या आंशिक रूप से सच हैं, जो कम से कम इस न्यायालय के लिए अनुमान के मामले होंगे।हालाँकि, रिकॉर्ड की बात यह है कि जिस समय अग्रिम जमानत लंबित थी, उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-पहला, जब किसी भी अंतरिम आदेश (अप्रैल 2022 और 08.08.2022 के बीच) के माध्यम से उसे कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी।दूसरा, यह 08.08.2022 पर था कि उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से पुलिस को ए के लंबित रहने के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश देते हुए एक आदेश दिया।

एफ.

जी.

एच.

एम. डी. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत उनका आवेदन। महत्वपूर्ण रूप से, अनुसंधान पूरी हो गई थी, और 08.08.2022 के बाद आरोप पत्र दायर किया गया था, और वास्तव में सत्र न्यायाधीश द्वारा 01.10.2022 पर संज्ञान लिया गया था।ये कारक महत्वपूर्ण थे, और हालाँकि उच्च न्यायालय ने कारकों पर ध्यान दिया है, लेकिन उनकी पूरी तरह से अलग तरह से व्याख्या की है।अभिलेखसँ जे प्रतीत होइत अछि ओ ई अछि जे अपीलार्थी 08.08.2022 सँ पहिने, जखन ओकरा कोनो सुरक्षा नहि देल गेल छल आ 08.08.2022 क बाद, जखन ओ आरोपपत्र दाखिल होयबा धरि सुरक्षा प्राप्त कयने छल आ 01.10.2022 पर ओकर संज्ञान लेल गेल छल, अनुसंधान मे सहयोग कयलक।इस प्रकार, एक बार आरोप पत्र दायर होने के बाद और कम से कम अभियुक्त की ओर से कोई बाधा नहीं होने पर, न्यायालय को अपराधों की प्रकृति, आरोपों और उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से जमानत दे देनी चाहिए थी।हालाँकि, अदालत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन यंत्रवत रूप से खारिज कर दिया और वस्तुतः, घाव में नमक रगड़ने के लिए अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने और निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया।इसलिए, इस अदालत की राय में, उच्च न्यायालय इस तरह के आकस्मिक दृष्टिकोण को अपनाने में गलती में पड़ गया।इसलिए जमानत को अस्वीकार करने और अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने और बाद में जमानत लेने का निर्देश देने का विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसे इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।अलग होने से पहले, अदालत सभी अदालतों को अर्नेश कुमार (ऊपर) में निर्धारित कानून का सख्ती से पालन करने और उसके तहत निहित निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों को दोहराने का निर्देश देगीः

बी.

सी.

डी.

ई.

“आई. 11.इस फैसले में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपी को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत न करें।यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने ऊपर क्या देखा है, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैंः

एफ.

11.1.सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वतः गिरफ्तारी न करें, बल्कि

धारा 41 सी. आर. पी. सी. से ऊपर निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

जी.

11.2.सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1) (बी) (ii) के तहत निर्दिष्ट उपखंडों वाली एक जाँच सूची प्रदान की जानी चाहिए।

11.3.पुलिस अधिकारी-विधिवत भरी गई जाँच सूची को अग्रेषित करेगा और उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता थी, जबकि आरोपी को आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने अग्रेषित/पेश करेगा।

एच.

11.4.मजिस्ट्रेट अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को उपरोक्त संदर्भों में देखेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट निरोध को प्राधिकृत करेगा।

11.5.किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को एक प्रति के साथ भेजा जाए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

बी.

11.6.धारा 41-ए सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में आरोपी को मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर पेश होने की सूचना दी जानी चाहिए, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

सी.

11.7.उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए भी दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

डी.

11.8.संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारणों को दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करना उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

ई.

12. हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि उपरोक्त निर्देश न केवल भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामले पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामलों में भी लागू होंगे जहां अपराध के लिए सात साल से कम या सात साल तक के कारावास की सजा हो सकती है, चाहे वह जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के।"

एफ.

II. उच्च न्यायालय विभिन्न अपराधों से निपटने वाले सत्र न्यायालयों और अन्य सभी और आपराधिक न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के रूप में उपरोक्त निर्देश तैयार करेगा।

जी.

III. इसी तरह, सभी राज्यों में पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में सख्त निर्देश जारी किए जाएं।सभी राज्यों के उच्च न्यायालय और डी. जी. पी. दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे दिशा-निर्देश और निर्देश/विभागीय ए.

एच.

1195

एम. डी. असफाक आलम बनाम झारखंड राज्य और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रत्येक राज्य में सभी निचली अदालतों और पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं।

सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा दस सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन का IV.Affidavits दायर किया जाएगा, भले ही उनके पंजीयक हों।

बी.

13. तदनुसार उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।अपीलार्थी को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है जो विचारण न्यायालय लागू कर सकता है।सभी राज्यों में उच्च न्यायालयों और पुलिस प्राधिकरणों को उल्लिखित समय सीमा के भीतर उपरोक्त पैरा में बताए गए तरीके से उपरोक्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

सी.

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.